न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या : 24/2015

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

1. पेम्पो पुत्री हरदानराम उम्र 64 वर्ष निवासी पुरावा पटवार हल्का अरणियाली तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

01. सरपंच, ग्राम पंचायत अरणियाली
02. नन्दराम पुत्र हरदानराम
03. मुलाराम पुत्र हरदान फौत के कायम मुकाम
 3/1. देवाराम पुत्र मुलाराम
 3/2. हेमी पत्नि मुलाराम
04. सोनाराम पुत्र हरदान फौत के कायम मुकाम
 4/1. मालाराम पुत्र सोनाराम
 4/2. हनुमानराम पुत्र सोनाराम
 4/3. गजरो पत्नि सोनाराम
05. केसाराम पुत्र हरदान
06. रेखाराम पुत्र हरदान
07. जमना पुत्री हरदान
08. कानु पुत्री हरदान
09. माली पुत्री हरदान
10. रामाराम पुत्र पोकरराम
11. अचलाराम पुत्र पोकरराम
12. चिमनाराम पुत्र पोकरराम
13. देवाराम पुत्र पोकरराम
14. खेताराम पुत्र खुमाराम
15. मुलाराम पुत्र खुमाराम
16. रावताराम पुत्र खुमाराम

जातियान जाट निवासी पुरावा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

17. प्रबधंक, एसबीआई बैंक शाखा गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 198 वर्ष 1988 जो ग्राम पंचायत अरणियाली द्वारा पारित किया गया

तारिख रजू : 03.06.2015

अधिवक्ता :– श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता अपीलान्ट उतरदाता एक तरफा व अनुउपस्थित

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

–: : निर्णय : :–

Signature Not Verified

दिनांक : 30.04.2024

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

वकील मय अपीलान्ट ने एक अपील धारा 75 ए. राजस्व अधिनियम की पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तरकरण संख्या 198 वर्ष 1988 जो ग्राम पंचायत अरणियाली द्वारा पारित किया गया जिसमें अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 से 09 के पिता हरदानराम

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

फौतगी पर ग्राम रामपुरा में खसरा नम्बर 70 रकबा 0–05 बीघा खसरा नम्बर 71 रकबा 147 बीघा मौजा गोदारो की बेरी में खेत खसरा नम्बर 152 रकबा 34–15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 190 रकबा 19–11 बीघा खसरा नम्बर 196 रकबा 3–02 बीघा तथा मौजा पुरावा में खेत खसरा नम्बर 223 रकबा 30–08 बीघा [illegible] के खेत में वर्ष 2020 में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन होने पर कुछ [illegible] को बदला गया जबकि अपील में वर्ष 2015 के अनुसार खसरा व रकबा वर्णित [illegible] सुगमता के लिए वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार दर्ज करना विधि समत होने से वर्तमान स्थिति इस प्रकार है वर्तमान में ग्राम रामपुरा में खसरा नम्बर 70 क्षेत्रफल 0.0405 हेक्टेयर, किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 71 क्षेत्रफल 10.9832 हेक्टेयर, किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 71/2 क्षेत्रफल 12.5048 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम मौजा गोदारो की बेरी में खेत खसरा नम्बर 152 क्षेत्रफल 5.6251 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम, खेत खसरा नम्बर 569/190 क्षेत्रफल 1.2221 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम, खेत खसरा संख्या 570/190 क्षेत्रफल 1.8454 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम खसरा नम्बर 196 क्षेत्रफल 0.5018 हेक्टेयर किस्म बा. अवल तथा मौजा पुरावा में खेत खसरा नम्बर 365/223 क्षेत्रफल 4.8401 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम पटवार हल्का अरणियाली के खेत में मुतवफी हरदान की फौतगी का नामान्तरकरण जो सभी 9 संतान के नाम पारित करना था परन्तु उतरदाता संख्या 2 से 6 ने हल्का पटवारी, आरआई व उतरदाता संख्या 1 से मिलकर गलत तरीके से गलत वारीस बताते हुए उतरदाता संख्या 2 से 6 व उनकी माता खेतू के नाम से पारित करवा दिया जबकि अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 07 से 09 हरदान की जायंदा पुत्रीया होने से उनके नाम से भी नामान्तरकरण पारित करना था परन्तु इनको वंचित रख दिया साथ ही अपीलान्ट अनपढ़ होने से अपीलान्ट को जानकारी नही होने दी एक माह पुर्व जब अपीलान्ट ने नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट का हिस्सा अन्य भाईयों से कम होने पर हल्का पटवारी से जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपके पिता की फौतगी में नाम नही हुआ केवल माता खेतू के हरदान के विधवा के रूप में प्राप्त हिस्से 1/6 हिस्से में ही आपकी माता की फौतगी पर नाम दर्ज हुआ तब अपीलान्ट ने अपने पिता की फौतगी पर नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को इस की जानकारी हुई तब जानकारी की तिथि से अन्दर म्याद यह अपील पेश की। साथ ही सदभाविक रूप से हुए विलम्ब की माफी के लिए अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया तथा निवेदन किया की अपील को अपीलान्ट के अनपढ़ता व महिला होने से विलम्ब को माफ करने में लाभ दिया जाना न्यायोचित है। तथा अपीलान्ट के पिता की फौतगी के समय पारित नामान्तरकरण संख्या 198 को अपास्त कर अपीलान्ट व अन्य बहनो को हरदान के नाम दर्ज सम्पुर्ण भूमि में सभी भाईयों के साथ बराबर बराबर 1/9–1/9 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाकर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित किया जाना विधि समत है।

पत्रावली पेश होकर दर्ज रजीस्टर होकर समन जारी किये गये उतरदाता संख्या 1 की ओर से वकील ने वकालातनामा पेश किया। उतरदाता संख्या 7 से 9 ने वकालातनामा पेश किया शेष उतरदाता बाद तामील अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई उतरदाता

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

संख्या 2 व 3 फोत होने से कायम मुकाम रेकर्ड पर लेकर कायम मुकाम को समन भेजे गये जो रजिस्ट्रड डाक से डिलीवर होने के बावजुद कोई उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई बहस हेतु बार बार पत्रावली नियत की गई तत्पश्चात अपील पर बहस सुनी गई। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी रेकर्ड पर ली गई।

सलग्न दस्तावेज के अवलोकन व अपील के तथ्यों पर मनन किया। खेतू के फौतगी के नामान्तरकरण में पांच पुत्र व चार पुत्रीया हल्का पटवारी व सरपंच ने माना है तथा अपीलान्ट द्वारा पेश आधार व भामाशाह कार्ड में हरदान की पुत्री प्रमाणित है इस प्रकार अपीलान्ट व उतरदाता 7 से 9 हरदान की जायन्दा पुत्रीया है तथा हिन्दू विधि अनुसार वैधानिक वारीस है तथा हरदान के फोत होने पर पारित ना. सं. 198 में 5 पुत्र व माता खेतू का नाम अंकित किया तथा अर्सा पुर्व खेतू के फोत होने पर पांच पुत्र व 4 पुत्रीयां जो अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 7 से 9 है का नाम दर्ज किया जो स्व. हरदान की पुत्री होना प्रमाणित करता है तथा इस अनुसार नामान्तरकरण संख्या 198 के अवलोकन से हरदान फोत होने पर अपीलान्ट व उतरदाता 7 से 9 का नाम अंकित नही करने से ना. स. 198 विधि विरूद्व व शुन्य है। ना. स. 198 जो 1988 में पारित किया जबकि अपील 2015 में पेश की परन्तु अपीलान्ट अनपढ़ होने व पितृशोक में होने से जानकारी नही हो पाई तथा माता की फोतगी पर नामान्तरकरण में नाम आने पर ही जानकारी होने से न्याय हित में बिलम्ब माफ किया जाना न्यायं सगत है तथा ना. स. 198 वर्ष 1988 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमन्ना को स्व. हरदान के वैध वारीसो के नाम दर्ज करने हेतु पुनः प्रेषित किया जाना न्यायसंगत है ताकि दोनो पक्षो को सुनकर हरदान के 9 वारीसो का बराबर हिस्सा अंकित हो सके।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभीमत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम रामपुरा में खसरा नम्बर 70 रकबा 0–05 बीघा खसरा नम्बर 71 रकबा 147 बीघा मौजा गोदारो की बेरी में खेत खसरा नम्बर 152 रकबा 34–15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 190 रकबा 19–11 बीघा खसरा नम्बर 196 रकबा 3–02 बीघा तथा मौजा पुरावा में खेत खसरा नम्बर 223 रकबा 30–03 बीघा (वर्तमान में ग्राम रामपुरा में खसरा नम्बर 70 क्षेत्रफल 0.0405 हेक्टेयर, किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 71 क्षेत्रफल 10.9832 हेक्टेयर, किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 71/2 क्षेत्रफल 12.5048 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम मौजा गोदारो की बेरी में खेत खसरा नम्बर 152 क्षेत्रफल 5.6251 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम, खेत खसरा नम्बर 569/190 क्षेत्रफल 1.2221 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम, खेत खसरा संख्या 570/190 क्षेत्रफल 1.8454 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम खसरा नम्बर 196 क्षेत्रफल 0.5018 हेक्टेयर किस्म बा. अवल तथा मौजा पुरावा में खेत खसरा नम्बर 365/223 क्षेत्रफल 4.8401 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम) पटवार क्षेत्रफल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना के खेत में फोत... नामान्तरकरण में उतरदाता संख्या 1 द्वारा वर्ष 1988 को पारित नामान्तरकरण संख्या 198 को ... तहसीलदार धोरीमन्ना को पुनः जांच व पुनः पारित करने हेतु ... किया जाना ... व विधि संगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 198 वर्ष 1988 जो ग्राम पंचायत अरणियाली द्वारा पारित किया के विरूद्ध अपील भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट की खातेदारी आराजी पटवार क्षेत्रफल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के ग्राम रामपुरा में खसरा नम्बर 70 रकबा 0–05 बीघा खसरा नम्बर 71 रकबा 147 बीघा मौजा गोदारो की बेरी में खेत खसरा नम्बर 152 रकबा 34–15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 190 रकबा 19–11 बीघा खसरा नम्बर 196 रकबा 3–02 बीघा तथा मौजा पुरावा में खेत खसरा नम्बर 223 रकबा 30–03 बीघा (वर्तमान में ग्राम रामपुरा में खसरा नम्बर 70 क्षेत्रफल 0.0405 हेक्टेयर, किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 71 क्षेत्रफल 10.9832 हेक्टेयर, किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 71/2 क्षेत्रफल 12.5048 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम मौजा गोदारो की बेरी में खेत खसरा नम्बर 152 क्षेत्रफल 5.6251 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम, खेत खसरा नम्बर 569/190 क्षेत्रफल 1.2221 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम, खेत खसरा संख्या 570/190 क्षेत्रफल 1.8454 हेक्टेयर किस्म बा. दोयम खसरा नम्बर 196 क्षेत्रफल 0.5018 हेक्टेयर किस्म बा. अवल तथा मौजा पुरावा में खेत खसरा नम्बर 365/223 क्षेत्रफल 4.8401 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम) में पारित नामान्तरकरण संख्या 198 वर्ष 1988 को आंशिक अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि न्यायालय तहसीलदार में नये सिरे से प्रकरण दर्ज कर वर्तमान जमाबन्दी में खातेदारों व अपील में दर्ज सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए साक्ष्य सबुत, गवाह, बयान आदि लेकर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए विधिसंगत पुनः निर्णय पारित करे। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को सरे ईजलांस सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner